

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
अररिया

पटना, दिनांक 9.6.15

विषय :- केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई राशि का डी0सी0 विपत्र एवं लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र का शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र समर्पित करने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 112 दिनांक 13.4.2015 एवं पत्रांक 178 दिनांक 21.4.2015


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र के द्वारा केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 की अवधि में ए0सी0 विपत्र के माध्यम से निकासी की गई केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में असमायोजित राशि 1849.604 लाख का ब्यौरा संलग्न करते हुये राशि कौषागार में जमा कर डी0सी0 विपत्र महालेखाकार कार्यालय में जमा करते हुए इसकी प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो अबतक अप्राप्त है । विदित हो कि उक्त लम्बित डी0सी0 विपत्र की समीक्षा प्रत्येक माह मुख्य सचिव महोदय के द्वारा की जाती है । इस विभाग की लम्बित डी0सी0 विपत्र से संबंधित समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा रोष व्यक्त किया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में एम0एस0डी0पी0 के तहत केन्द्रांश मद में 1334.55 लाख एवं राज्यांश मद में 336.55 लाख अर्थात् कुल 1671.10 लाख का आवंटन आपके जिला को उपलब्ध कराया गया था । जिसमें मात्र 398.41 लाख का ही उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित किया गया है ।

अतः अनुरोध है कि ए0सी0 विपत्र पर निकासी की गई असमायोजित राशि 1849.604 लाख का डी0सी0 विपत्र अविलम्ब महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित किया जाय । साथ ही निर्माणधीन योजनाओं में राशि व्यय कर लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र का शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण शीघ्र भेजने की कृपा की जाय । कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन


सरकार के प्रधान सचिव
8/6/15